

ब्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनु

गु0न0	किस्म गु0	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
50/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

उनवान सरकार वनाग विश्वनाथ पुत्र किशोलाल जाति बाहगण नि0 कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मागला साक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने समेत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै0गु0 बाला ख0न0 215 रकवा 0.20 किस्म गै0गु0 बाला में से 0.02 हे0 भूमि पर अतिकमी विश्वनाथ पुत्र किशोलाल जाति बाहगण नि0 कुठानिया तहसील बुहाना ने अवैध रूप से ग्वार काशत कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से गवन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो कांविज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। च गैर वहरा रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये ग्वार की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.13 की 50 गुणा नुर्माना राशि 07/- रु वतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वारते जमा कायगी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वारतविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकगील तामिल दारिब्रल दफतर हो तथा नक्कर से कमा होकर दर्ज फेराला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले ब्यायालय सुनाया गया।



नायब तहसीलदार

गुणवत्ता के गुणवत्ता .....  
2019 पर 7 .....  
द कायम किये

ड. वधन प्रसाद